



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड 3 (ii)
PART II—Section 3—Sub-section(ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 306]

No. 306]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 25, 1979/श्रावण 3, 1901

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 25, 1979/SHRAVANA 3, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मंत्रीमण्डल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1979

का० धा० 424(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-श्रावण) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-श्रावण) (एक सौ तैत्तीसवां संशोधन) नियम, 1929 है।

(2) ये इनके शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-श्रावण) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में—

- (क) "वित्त मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, उप शीर्षक "ग. राजस्व विभाग" के अंतर्गत, प्रविष्टि 13 में,
- (i) मद(ग) में, शब्द "श्रीर" का लोप किया जाएगा;
- (ii) मद(घ) के बाद, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—
- "(ङ) हीरे जवाहिरालय संग्रहालय।";
- (ख) "विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय" शीर्षक के नीचे—

(i) "क. विधि कार्य विभाग" उप शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 10 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"10क. मोटोर्स अधिनियम, 1952 का प्रशासन।";

(ii) "ग. न्याय विभाग" उप-शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 5 का लोप किया जाएगा।

नीलम संजीव रेड्डी, राष्ट्रपति

[सं० 74/3/6/79-संजी०]

के० सह्याय, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 1979

S.O. 424(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and thirty-third Amendment) Rules, 1979.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Second Schedule to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961—

(a) under the heading "MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA)", under the sub-heading "C. DEPARTMENT OF REVENUE (RAJASWA VIBHAG)", in entry 13,—

(i) in item (c), the word "and" shall be omitted ;

(ii) after item (d), the following item shall be inserted, namely :—

"(e) Museum of Gems and Jewellery." ;

(b) under the heading "MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (VIDHI, NYAYA AUR KAMPANI KARYA MANTRALAYA)"—

(i) under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS (VIDHI KARYA VIBHAG)", after entry 10, the following entry shall be inserted, namely :—

"10A. Administration of the Notaries Act, 1952 ;

(ii) under the sub-heading "C. DEPARTMENT OF JUSTICE (NYAYA VIBHAG)", entry 5 shall be omitted.

NEELAM SANJIVA REDDY, President of India

[No. 74/3/6/79-Cab.]

K. SAIGAL, Joint Secy.